

कार्यालय नगर निगम, भागलपुर

व्यापार अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र

(बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा - 342 अन्तर्गत)

आवेदन पत्र संख्या

गरीबी रेखा से नीचे (प्रमाण पत्र संलग्न)

हाँ

नहीं

आवेदक का नाम:-

..... उम्र..... लिंग.....

पिता/पति का नाम:-

.....

व्यावसायिक/औद्योगिक संस्था का नाम:-

.....

मालिकाना/हिस्सेदारी/प्राइवेट लि०/लिमिटेड

.....

पूरा पता-

रोड/लेन.....मुहल्ला-.....

होलिडिंग नं०वार्ड सं०-.....

थाना..... पोस्ट-.....

खाता सं०..... खेसरा सं०.....

जिला-.....राज्य-.....

पिन कोड.....

व्यवसाय का प्रकार

.....

अनुज्ञप्ति की अवधि

.....

टैन नं०/सर्विस टैक्स नं० (अगर कोई हो तो).....

पैन नं० (अगर कोई हो तो)

सम्पर्क (मोबाईल/टेलीफोन नं०)

.....

ई-मेल आईडी

.....

कुल व्यवसायिक क्षेत्र (वर्गफीट में)

.....वर्गफीट, उ०.....द०.....

पु०.....प०.....

व्यवसाय क्षेत्र का प्रकार

अपना किराये का

मकान मालिक का नाम एवं पता

.....

सालाना व्यापारवर्त

10 लाख तक 10 लाख से अधिक

आवेदन का उद्देश्य

नये अनुज्ञप्ति हेतु नवीनीकरण हेतु

घोषणा

मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि उपर दी गयी सभी सूचनायें मेरी जानकारी में सही है तथा किसी भी गलत सूचना के लिये मैं जिम्मेवार होऊँगा/होऊँगी। नगर निगम को यह अधिकार होगा की किसी भी गलत एवं भ्रामक सूचना के लिये मेरे विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई कर सकें।

आवेदक का हस्ताक्षर

आवेदन समर्पित करने की तिथि :-

आवेदन के लिये निम्नांकित कागजात संलग्न किया जाना चाहिए

1. अगर आवेदक अपने मकान में व्यवसाय करना चाहते हैं तो होल्डिंग टैक्स भुगतान का रसीद संलग्न करें।
2. अगर लीज या रेन्ट के मकान में व्यवसाय करना चाहते हैं तो लीज एग्रीमेंट या रेन्ट रसीद संलग्न करें।
3. अगर सर्विस टैक्स या वैट एक्ट में रजिस्टर्ड है तो उसके रिटर्न की प्रति संलग्न करें।
4. मो0 10 लाख रुपये के अंदर सालाना व्यापारावर्त का स्वीकारोक्ति संलग्न करें।
5. नवीनीकरण की स्थिति में पूर्व अनुज्ञप्ति का फोटोकॉपी संलग्न करें।
6. गरीबी रेखा से नीचे कैटोगरी का सटिफिकेट/कार्ड संलग्न करें।
7. पैन कार्ड की छायाप्रति संलग्न करें।
8. वोटर आईडी कार्ड की छायाप्रति संलग्न करें।